न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/2002/4480/हनुमानगढ़

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

.....प्रार्थी

बनाम

1– महेन्द्र सिंह पुत्र जगीर सिंह,
2– नक्षत्र सिंह पुत्र जगीर सिंह,
3– बलविन्द्र सिंह पुत्र जगीर सिंह,
4– बलराम सिंह पुत्र जगीर सिंह,
समस्त निवासीगण पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

..... अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितिः–

श्रीमति अर्चना गौतम, विद्वान राजकीय अधिवक्ता।
श्री पवन सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 10/09/2025.

1– हस्तगत रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 30–07–2002 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2– रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अति0 जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी महेन्द्र सिंह वगैरह को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 14–05–1992 को चक 3 एन आर के मु0नं0 36/328 के किला नं. 1/1.00, 3 ता 9/7.00, 10/0.18, 12 ता 19/8.00, 21/0.14, 22/0.16, 23/0.16, 24/0.16, 25/0.16 कुल 22.12 बीघा कमाण्ड बालिग पुत्रों के तहत् आवंटन किया गया। उक्त भूमि राजकीय भूमि थी तथा इस भूमि को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित किया हुआ था। इस संबंध में दिनांक 14–10–1988 के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका था, इसलिये यह भूमि सामान्य एवं बालिग पुत्रों के आवंटन योग्य नहीं थी। इस कारण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का आवंटन आदेश दिनांक 14–05–1992 अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है। आगे यह भी अभिवर्णित है कि अप्रार्थी के पिता जंगीर सिंह के पास और भी भूमि थी जिस संबंध में कुल भूमि की जांच कर जंगीर सिंह द्वारा धारण योग्य भूमि जो पूर्व 55 और पोस्ट 55 की समस्त भूमि को सम्मिलित करते

हुए जितनी भूमि जंगीर सिंह रख सकता था उसका आवंटन 1975 के नियमों के तहत् जंगीर सिंह को आवंटन कर दिया गया तथा चक 3 एन आर के पत्थर नंबर 36, 328 की 22.12 बीघा भूमि अधिशेष होने के कारण भूमि को आराजी राज दिनांक 09–07–1982 को अधिशेष घोषित करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी अथवा इसका पिता विवादित भूमि का आवंटन कराने का अधिकारी नहीं था तथा यह भूमि आराजी राज घोषित होने के पश्चात् इस भूमि को विशेष आवंटन के तहत् आरक्षित कर दी गई थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी को बालिग पुत्र एवं सामान्य आवंटन के तहत् आवंटित करने का अधिकार नहीं था, बावजूद इसके उपखण्ड अधिकारी ने आवंटन आदेश जारी कर दिया जो आदेश कतई गलत एवं अवैधानिक है। अतएव प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को प्रेषित किया गया।

3– न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ ने रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनकर आदेश दिनांक 30–07–2002 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर उभय पक्षों की बहस प्रकरण के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– दौराने बहस विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि सामान्य एवं बालिग पुत्रों के तहत् आवंटन योग्य नहीं होने के कारण इस भूमि को बालिग पुत्रों के तहत् सामान्य आवंटन हेतु निर्धारित दर पर किया गया आवंटन कतई अवैध, शून्य एवं विधि विरूद्ध है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि दर्ज होने के बाद इस भूमि को विशेष आवंटन के तहत् आरक्षित की गई थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को बालिग पुत्रों के तहत् आवंटन का अधिकार नहीं था। दिनांक 15–1–87 से 09–08–98 तक बालिग पुत्र एवं सामान्य आवंटन पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी अप्रार्थी को नियम विरूद्ध आवंटन कर दिया गया है। अतएव प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।

5– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये कहा कि विवादित भूमि राजकीय भूमि ना होकर बालिग पुत्रों के तहत् आवंटन हेतु आरक्षित थी, जिसे गलती से दिनांक 14–10–1988 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अभिलेख का पूर्ण परीक्षण कर विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पिता की अधिशेष घोषित भूमि होने के कारण अप्रार्थीगण के बालिग पुत्रों के तहत् आवंटन की पात्रता की जाचं कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि की समस्त किश्ते जमा करवाई जा चुकी है। आगे यह भी निवेदन किया कि विवादित भूमि विशेष आवंटन के तहत् आरक्षित होने की राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31–01–2019 के द्वारा बालिग पुत्रों को आवंटन होने के कारण विशेष आवंटन से तुरंत प्रभाव से मुक्त की गई है तथा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कोलोनी शर्त, 1955) की शर्त के अधीन सनद् अप्रार्थीगण के पक्ष में भी दिनांक 25–09–2019 को जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत

<u>रेफरेन्स/एलआर/2002/4480/हनुमानगढ़</u>
<u>राज्य सरकार बनाम महेन्द्र वगैरह</u>

यह रेफरेन्स स्वतः सारहीन हो चुका है। अतएव इसे अस्वीकार कर खारिज किया जाये।

6– उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार, पीलीबंगा द्वारा विवादित भूमि को सामान्य आवंटन एवं बालिग पुत्रों हेतु आरक्षित न होने के कारण विवादित भूमि में आरक्षित कीमत पर बालिग पुत्रों के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 14–05–1992 को अवैध व शून्य घोषित कर इसे आराजी राज दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्रेषित किया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 30–07–2002 से अपनी संस्तुति प्रदान करते हुए रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मण्डल को प्रेषित किया है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(51)उप/2006 जयपुर, दिनांक 31–01–2019 एवं कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.12(2)(5)राज./99/127–128 दिनांक 15–02–2019 एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा द्वारा जारी सनद दिनांक 25–09–2019 की प्रतियां पेश करते हुए यह जाहिर किया गया है कि विवादित भूमि को राज्य सरकार द्वारा विशेष आवंटन से तुरंत प्रभाव से मुक्त कर दी गई है तथा विवादित भूमि की सनद् राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कोलोनी शर्त, 1955) की शर्त के अधीन अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 25–09–2019 को जारी की जा चुकी है।

7– पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 31–01–2019 के अनुसार विवादित भूमि बालिग पुत्रों को आवंटन होने के कारण विशेष आवंटन से तुरन्त प्रभाव से मुक्त की जा चुकी है तथा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कोलोनी शर्त, 1955) के तहत् सनद अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 25–09–2019 के पक्ष में जारी हो चुकी है। अतः प्रकरण के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वयमेव निष्प्रभावी होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8– परिणामतः हस्तगत रेफरेन्स अंतर्गत धारा–82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन एवं निष्प्रभावी होने से अस्वीकार की जाकर खारिज किया जाता है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य